

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन

प्रभावित वनभूमि की नेट प्रेजेंट वेल्यू (NPV) पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त
देय राशि के भुगतान हेतु वचनपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत प्रस्तावित कालीसिंध फेस II सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना (पाईप लाइन) के निर्माण हेतु परियोजना में प्रभावित होने वाले कुल वनक्षेत्र 147.090 हेक्टेयर है। जिसमें से वनमंडल खण्डवा का वनक्षेत्र 46.989 हेक्टेयर एवं वनमंडल देवास का वनक्षेत्र 100.101 हेक्टेयर है। जिसकी पुनरीक्षित नेटवेल्यू की राशि का मांग पत्र प्राप्त होने पर पुनरीक्षित नेट प्रेजेंट वेल्यू की राशि नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा भुगतान किया जावेगा।


कार्यपालन यंत्री
नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 20
मण्डलेश्वर जिला खरगोन